राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 499 व 500/2009/जयपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन,राजस्थान,
घट–प्रथम, वृत्त–प्रथम, जयपुर। .....अपीलार्थी.

बनाम्

श्री राम जयपुरिया,
जरिये–मैसर्स रूंथला इण्डस्ट्रीज़, जयपुर। .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :
श्री डी.पी.ओझा,
उप–राजकीय अभिभाषक । .....अपीलार्थी की ओर से.
अनुपस्थित। .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक :10.10.2014

निर्णय

1. अपीलार्थी सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान, घट–प्रथम, वृत्त–प्रथम, जयपुर (जिसे आगे सशक्त अधिकारी कहा जायेगा) द्वारा उक्त दोनों अपीलें उपायुक्त, वाणिज्यिक कर (अपील्स–प्रथम),जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित पृथक्–पृथक् अपीलीय आदेश दिनांक 28.07.2008 के विरूद्ध पेश की गयी हैं तथा जो क्रमशः अपील क्रमांक 1563 व 1564/आर.एस.टी./एनआरडी/1997–98 के संबंध में है, जिनमें अपीलार्थी ने अपीलीय अधिकारी द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 78(5) के तहत् जरिये पृथक्–पृथक् आदेश दिनांक 19.03.1997 आरोपित क्रमशः शास्ति रू.1,50,165/– व रू.70,000/– को अपास्त करने को विवादित किया है ।

2. चूंकि दोनों अपील प्रकरणों के तथ्य व विवादित बिन्दू सादृश्य हैं । अतः दोनों अपील प्रकरणों का निर्णय संयुक्तादेश से किया जा रहा है । निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक् से रखी जा रही हैं।

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा दिनांक 02.07.1996 को वाहन संख्या आर.जे.13जी/3103 व पी.बी.–13/2361 को सोडाला स्थित सन्दीप नामक व्यक्ति के गोदाम में माल खाली करते समय जांच की गयी । वक्त जांच वाहन के द्वारा परिवहनित माल "एच.आर.शीट" 4 बण्डल से सम्बन्धित बिल्टी क्रमांक 12374 व 12371

दिनांक 26.06.1996 जारीकर्ता मैसर्स नोर्थ ईस्ट केरिंग कार्पोरेशन, मैसर्स एस्सार स्टील लिमिटेड हजीरा द्वारा जारी बिल कमांक 91117 व 91116 दिनांक 26.06.1996 जो मैसर्स कलकत्ता हार्डवेयर सप्लाई ऐजेन्सी नई दिल्ली के नाम से जारी किया गया, पाये गये। वक्त जांच श्री राम जयपुरिया गोदाम पर उपस्थित पाये गये, जिन्होंने उक्त गोदाम श्री संदीप का होना प्रकट किया गया। अपीलार्थी सशक्त अधिकारी ने सन्देह के आधार पर श्री राम जयपुरिया को वास्ते प्रस्तुत करने माल प्राप्तकर्ता, नोटिस जारी किया गया। नियत तिथि को पक्षकार के अनुपस्थित रहने के कारण अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा यह अवधारित किया कि परिवहनीत कर चोरी की नियत से दूसरे के नाम से फर्जी दस्तावेजों से राज्य में विक्रय हेतु आयात किया गया है । अतः उक्त कृत्य को अधिनियम की धारा 78(2)(ए) का उल्लंघन होना अवधारित कर, अधिनियम की धारा 78(5) के तहत् उपर्युक्तानुसार शास्तियां आरोपित कर, पृथक्–पृथक् शास्ति आदेश पारित किये गये । उक्त पारित आदेशों के विरूद्ध प्रत्यर्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपीलें स्वीकार ली गयी । जिनसे व्यथित होकर अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा यह अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।

4. बहस सुनी गयी ।

5. अपीलार्थी की ओर से उप–राजकीय अभिभाषक ने अभिवाक् किया है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने अपीलार्थी द्वारा आरोपित शास्तियों को अपास्त करने में विधिक भूल की है क्योंकि अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 78(2)(ए) का उल्लंघन मानते हुये, अधिनियम की धारा 78(5) के तहत् जो शास्तियां आरोपित की है वह पूर्णतः उचित एवम् विधिसम्मत है जिसे विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त करने में विधिक त्रुटि की है । तद्नुसार प्रार्थना की कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों को अपास्त कर, अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा आरोपित शास्तियों को पुनर्स्थापित (restore) करने का निवेदन किया गया।

6. प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है । अतः एकपक्षीय बहस सुनी जाकर गुणागुण पर निर्णय पारित किया जा रहा है।

7. बहस पर मनन किया गया । रिकॉर्ड का परिशीलन कर विधि के प्रावधानों का अध्ययन किया गया । इस संबंध में अधिनियम की धारा 78(5) का मूल पठन इस प्रकार है:–

> **76. Establishment of check–post or barrier and inspection of goods while in movement. –**
>
> **(1).....**
>
> **(2).....**

(3)..

(4)..

(5) The Incharge of the check–post or barrier or ***"the officer empowered"*** under sub–section (3), after having given the owner of the goods or person authorized in writing by such owner or person Incharge of the goods a reasonable opportunity of being heard and after having held such enquiry as he may deem fit, shall impose on him for possession or movement of goods, whether seized or not, in violation of the provisions of ***"clause (a) of sub–section (2)"*** or for submission of false or forged documents or declaration, a penalty equal to thirty percent of the value of such goods.

8. उल्लेखनीय है कि अधिनियम की धारा 78 के प्रावधानानुसार धारा 78(2)(ए) के अनुसार विहित दस्तावेज नहीं होने अथवा प्रस्तुत दस्तावेजों के "मिथ्या" और "कूटरचित" होने की दशा में ही शास्ति आरोपित की जा सकती है। प्रकरणों में अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा जारी नोटिसेज में इन परिस्थितियों का कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है। वक्त जांच माल के संबंध में विधिक दस्तावेज प्रस्तुत किये गये थे, अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा बिना किसी अग्रिम जांच के प्रस्तुत दस्तावेजों को मिथ्या व कूटरचित होना अवधारित कर, शास्तियां आरोपित की गयी है जो विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है, जिन्हें अपीलीय अधिकारी द्वारा उचित रूप से अपास्त किया गया है। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि में अधिनियम की धारा 78(5) के तहत् शास्ति राशि का आरोपण **'माल' के परिवहन के दौरान पाये गये अपूर्ण दस्तावेजों से संबंधित है अथवा जांच के समय नहीं पाये गये दस्तावेजों के संबंध में मौका दिये जाने पर इस संबंध में हुयी भूल के संबंध में है** । जबकि विवादाधीन प्रकरणों में परिवहन के दौरान उपर्युक्त तथ्यात्मक स्थिति के आलोक में, जांच के समय माल नहीं होना प्रकट है। अधिनियम की धारा 78(5) के तहत् माल के अभाव में, शास्ति राशियों आरोपण विधिक एवम् उचित नहीं है। अतः उपर्युक्त वर्णित विधिक एवम् तथ्यात्मक स्थिति के प्रकाश में भी आरोपित शास्तियां अनुचित एवम् अविधिक होने के कारण, पारित अपीलीय आदेशों की पुष्टि की जाकर, अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार की जाती है।

9. परिणामतः, अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।

10. निर्णय प्रसारित किया गया ।

1.10.2019

(मदन लाल)

सदस्य